

नियम 48 : बीजक जारी करने की रीति

- (1) बीजक तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात् :-
- (क) मूल प्रति को “प्राप्तिकर्ता के लिए मूल” के रूप में चिह्नित किया जाएगा;
- (ख) दूसरी प्रति “परिवाहक के लिए द्विप्रतिक” के रूप में चिह्नित किया जाएगा; और
- (ग) तीसरी प्रति “प्रदायकर्ता के लिए तिहरा” के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- (2) सेवाओं की प्रदाय की दशा में, निम्नलिखित रीति से, बीजक दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात् :-
- (क) मूल प्रति को “प्राप्तिकर्ता के लिए मूल” के रूप में चिह्नित किया जाएगा; और
- (ख) द्वितीय प्रति को “प्रदायकर्ता के लिए द्विप्रतिक” के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- (3) कर अवधि के दौरान जारी बीजकों की क्रम संख्या *प्ररूप जीएसटीआर-1¹ [या प्रारूप जीएसटीआर-1क में, यदि कोई हो] में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएगी।
- ²[(4) बीजक को, सामान्य माल और सेवा कर इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल पर इसमें अंतर्विष्ट सूचना को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपलोड करके बीजक संदभ्र संख्या प्राप्त करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटीआईएनवी-01 में अंतर्विष्ट ऐसी विशिष्टियों को सम्मिलित करके, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा तैयार किया जाएगा जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित³ किया जाए।
- ⁴[परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इस उपनियम के अधीन बीजक जारी करने से किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकेगा।]
- (5) प्रत्येक बीजक, जो उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उपनियम (4) लागू किया गया है, जिसको उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न किसी रीति से जारी किया है, को बीजक नहीं माना जाएगा।
- (6) उपनियम (1) और (2) के उपबंध उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से तैयार किए गए बीजक पर लागू नहीं होंगे।]

* राजपत्र में “प्ररूप जीएसटीआर-11” छपा है।

¹ अधिसूचना क्रमांक 12/2024-केन्द्रीय कर, दिनांक 10.07.2024 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 10.07.2024)।

² अधिसूचना क्रमांक 68/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 13.12.2019 द्वारा उपनियम (4), (5), और (6) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 13.12.2019)।

³ अधिसूचना क्रमांक 70/2019-केन्द्रीयकर दिनांक 13.12.2019 देखें (प्रभावशील दिनांक 01.04.2020)।

⁴ अधिसूचना क्रमांक 72/2020-केन्द्रीय कर, दिनांक 30.09.2020 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 30.09.2020)।